

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2017/FCA/PCCF/CCFEDS-II Dated 22.8.2019

EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOUCE DEPARMENT Division III, BARAN के द्वारा SUBMERGANCE OF HATHIADEH MEDIUM IRRIGATION PROJECT कार्य हेतु बांरा जिले/वन मंडल सिरोही के ग्राम वामनदेह, गोरधनपुरा, करवरीखुर्द, करवरी कलों ग्रामों की कुल 286.5 हेक्टर वन भूमि के अनारक्षण के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/Irrig/27263/2016 दिनांक 21.7.2017 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III की पूर्ती के उपरांत प्रस्तुत किया गया है प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण किये जाने पर टिप्पणी निम्नानुसार है

### A- Compliance of EDS Dated 2.4.2019 is awaited:

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना नहीं। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 D-(i) में डेम की उँचाई की औचित्यता सिद्ध करने हेतु डेम उँचाई को 1 – 1 मीटर (थ्री डी मॉडल में) कम करते हुए प्रभावित वन क्षेत्र/सी0सी0ए0/पानी लेबल की गणना संलग्न की गई है किन्तु उसमें डेम लाईन एवं डूब क्षेत्र (14.9963 एवं 271.4737 है0) अंकित किया गया है जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में डेम लाईन एवं डूब क्षेत्र (9.521 एवं 276.949 है0) है उक्तानुसार इसमें संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इसमें इसके नक्शो (डी0जी0पी0एस0) पर अंकन कर संलग्न नहीं किया गया है जो प्रस्तावित है।
2. बिन्दु संख्या 2 की पालना के क्रम में प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 F में यूजर ऐजेन्सी द्वारा Approved Rehabilitation and Resettlement Plan के स्थान पर वचनवद्धता संलग्न की गई है। प्रस्ताव में अब तक की गई कार्यवाही विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 3 की पालना के क्रम में प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 G में यूजर ऐजेन्सी द्वारा Cost benefit Analysis में संशोधित एन0पी0वी0 की दरे अनुसार कर दिया गया है किन्तु क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की राशि सही नहीं ली गई है।
4. बिन्दु संख्या 4 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 L में यूजर ऐजेन्सी द्वारा तीन पेच में गैर वन भूमि का विवरण segment wise kml file संलग्न किया गया है किन्तु ऑनलाईन संलग्न किये गये खसरावार विवरण में जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित की गई भूमि का मिलान नहीं हो रहा है एवं segment wise kml file का पॉलीगॉन भी मिलान नहीं कर रहा है।
5. बिन्दु संख्या 7 की पालना में उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 4 में वृक्षो की संख्या में संशोधन किया गया है किन्तु हार्ड प्रति में संलग्न दस्तावेज अनुसार 11586 आता है जबकि ऑनलाईन 11585 वृक्ष अंकित है जिसे संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। एफ0आर0एल0 2 में सूचना संलग्न कर दी गई है।
6. बिन्दु संख्या 8 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 6 में प्रस्ताव से भूमि क्षरण की स्थिति में इरोजन के प्रति संवेदनशील नहीं होना अंकित किया गया है किन्तु ऑनलाईन संशोधन नहीं किया गया है।
7. बिन्दु संख्या 11 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक बांरा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है किन्तु प्रस्तावित योजना में क्षेत्र का अन्तर है। उक्त योजनाओं को ऑनलाईन प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।
  1. 101.03 है0 के स्थान पर 107.04 है0 की प्रस्तुत की गई है।
  2. 118.15 है0 के स्थान पर 112.22 है0 की प्रस्तुत की गई है।
  3. 67.32 है0 के स्थान पर 67.24 है0 की प्रस्तुत की गई है।

8. बिन्दु संख्या 12 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक बांरा द्वारा एन0पी0वी0 की गणना 286.50 है0 की प्रस्तुत की गई है जबकि आवेदित वन क्षेत्र 286.47 है0 है।
9. बिन्दु संख्या 13 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पृथक पृथक स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है जो कि एक ही ग्राम पाटूदा के बने है जबकि गैर वन भूमि तीखोद एवं पाटूदा ग्रामों में मिली है प्राप्त गैर वन भूमि के अनुसार स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजनाओं को ऑनलाईन प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।
10. बिन्दु संख्या 14 की पालना नहीं। उप वन संरक्षक बांरा द्वारा वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति ऑनलाईन संलग्न की गई है किन्तु हार्ड प्रति में संलग्न नहीं है।

**B- Additional information is required:**

1. प्रस्ताव में पार्ट II में बिन्दु संख्या 3 में जिलावार प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।

*D.K. Gupta*  
(D.K. GUPTA)  
ACF (FCA)  
JAIPUR